

(वाद संख्या-3325/19)

17.06.2020

प्रसंगाधीन मामले के संबंध में आयोग के निर्देश के अनुपालन में बिहार पुलिस मुख्यालय (स्थापना विधि प्रभाग), बिहार, पटना द्वारा समर्पित प्रतिवेदन (पृ0-92-81/प0) की प्रति संलग्न कर परिवादी अगर चाहें तो दिनांक-06.10.2020 के पूर्व या तो लिखित रूप से या व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर अपना पक्ष रख सकते हैं। परिवादी से यह भी अनुरोध है कि संभावित क्षतिपूर्ति के भुगतान हेतु अपना पूरा Bank Details भी, अपना पक्ष रखते समय आयोग को समर्पित करें।

अग्रिम सुनवाई हेतु संचिका दिनांक-06.10.2020 को उपस्थापित किया जाय।

ह0/-

(उज्ज्वल कुमार दुबे)
कार्यकारी अध्यक्ष

सहायक निबंधक